



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/5034 6039 दिनांक:- 9/12/22

—:कार्यवाही विवरण:—

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 08.12.2022 को उपायुक्त (जोन-4) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1434/895 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा प्रकरण में वाद विचार पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में दो बार अंकित भूखण्ड संख्या 7 के कम में सही करते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार दुसरी बार अंकित भूखण्ड संख्या 7 को 8 व भूखण्ड संख्या 8 को 9 एवम् भूखण्ड संख्या 9 को 10 संख्या का अंकन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 रकबा 33265.15 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
03. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
04. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 616/1 रकबा 15944.61 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
03. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
04. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

2

67

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 44 रकबा 38526.07 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. आवेदित भूमि पर मास्टर डवलपमेंट प्लान की 160 फीट सड़क प्रस्तावित की गयी जो मानचित्र में दर्शायी जावें। उक्त मास्टर डवलपमेंट प्लान की 160 फीट सड़क से प्रभावित भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी नहीं किये जावें।
02. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 105 रकबा 1999.690 वर्गमीटर का पुनर्गठन के संबंध में।


निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
02. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
03. समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श प्रकरण में भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से पुनर्गठित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावें। साथ ही प्रकरण में जरिये आम सूचना प्रकाशित कर विज्ञप्ति आमंत्रित की जावें तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 679, 680, 681, 682, 683 व 684 का इन्फॉर्मल शॉप क्षेत्रफल 288.88 वर्गगज का ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 679, 680, 681, 682, 683 व 684 का पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान में इन्फॉर्मल शॉप्स हेतु आरक्षित भाग क्षेत्रफल 288.88 वर्गगज में प्रस्तावित योजना मानचित्र का बाद विचार विमर्श अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।


तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक/अधिशाषी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक
सुब नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 5025 to 29

दिनांक:- 9/12/22

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त पश्चिम, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पश्चिम, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार पश्चिम, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सि—

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

जोन स्तरीय समिति की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 08.12.2022 को उपायुक्त (जोन-4) की अध्यक्षता में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 2. श्री सुबोध माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. संजय माथुर, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 4. प्रतिज्ञा सोनी, तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |

सि—

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर